यह निरीक्षण प्रतिवेदन **अधिशासी अभियंता, निर्माण खंड-2, ए.डी.बी., देहरादून** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

अधिशासी अभियंता, निर्माण खंड-2, ए.डी.बी., देहरादून के माह 06/2019 से 01/2021 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री आर.एन. यादव (सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी), श्री पी.के. श्रीवास्तव (सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी) एवं श्री शरद चौधरी (सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी (तदर्थ)) द्वारा दिनांक 26/02/2021 से 05/03/2021 तक श्री जे.एम.एस. रावत (वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी) के पूर्णकालिक पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग-I

1.परिचयात्मकः इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री संजीव कुमार (स.ले.प.अ.) एवं श्री राजेश सिन्हा (स.ले.प.अ.) एवं श्री ए. के. शर्मा (सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी (तदर्थ)) द्वारा दिनांक 30/01/2020 से 12/02/2020 तक श्री ए. के. जैन (वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी) के पूर्णकालिक पर्यवेक्षण में निष्पादित की गयी थी। जिसमें माह 10/2016 से 05/2019 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी।

2. (i) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः ए.डी.बी. द्वारा सौपे गए कार्य।

(ii) (अ) विगत तीन वर्षों मे बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निमन्वत हैं।

(` लाख में)

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना		गैर-स्थापना		आधिक्य (+)	बचत (+)
	स्थापना	गैर-स्थापना	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय		
2018-19	-	-	155.55	155.55	371.58	371.36	-	0.22
2019-20	-	-	186.77	183.87	172.24	92.81	-	79.43*
2020-21 (up to 12/2020)	-	-	160.41	159.45	5.98	5.98	-	-

**ठेकेदार से बिल न प्राप्त होने के कारण उक्त धनराशि समर्पित की गयी।*

(ब) केंद्र पुरोनिधानित योजनाओं के अंतर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैं-

(` लाख में)

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष	प्राप्त	व्यय	आधिक्य	बचत
2018-19	**शून्य**					
2019-20						
2020-21 (up to 10/2020)						

3. इकाई को बजट आवंटन राज्य सरकार के विभिन्न स्रोतों से प्राप्त होता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई "**B**" श्रेणी की है। विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

सचिव, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड

प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग

मुख्य अभियन्ता, ए.डी.बी. वृत्त, लोक निर्माण विभाग,देहरादून

अधीक्षण अभियन्ता, ए.डी.बी. वृत्त, लोक निर्माण विभाग, नई टिहरी

अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड-2, ए.डी.बी., लोक निर्माण विभाग, देहरादून

4. लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः लेखापरीक्षा में कार्यालय **अधिशासी अभियंता, निर्माण खंड-2, ए.डी.बी., देहरादून** को आच्छादित किया गया। यह निरीक्षण प्रतिवेदन **अधिशासी अभियंता, निर्माण खंड-2, ए.डी.बी., देहरादून** की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। लेखा परीक्षा द्वारा व्यय विवरण एवं प्राप्ति के आधार पर सर्वाधिक व्यय वाले माह **दिसम्बर 2019 तथा दिसम्बर 2020** को विस्तृत जांच एवं विश्लेषण हेतु चयनित किया गया।

5. लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 13 , लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियमन-2020 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

6. अधीक्षण अभियंता द्वारा विगत लेखापरीक्षा से अब तक की अवधि में किया गया निरीक्षण: 14/02/2020, 04/01/2021

7. खण्ड के भण्डार लेखों की अर्द्धवार्षिक लेखाबन्दी तथा यंत्र संयंत्र लेखों की वार्षिक लेखाबन्दी क्रमशः माह **09/2020** तथा **09/2020** तक की गई।

8. फार्म 51: माह **08/2019** तक कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तराखण्ड देहरादून को प्रेषित किया जा चुका है जिसके भाग प्रथम एवं द्वितीय के अवशेष निम्नवत हैः-

भाग प्रथम : शून्य

भाग द्वितीय : ₹ 56386

9. खण्ड के उचन्त लेखों के अवशेष माह **01/2021** के अन्त में

(क) प्रकीर्ण निर्माण अग्रिम : ₹ 1454321
(ख) सामग्री क्रय : शून्य
(ग) नगद परिशोधन : शून्य
(घ) निक्षेप- : ₹ 6800273
(ङ) भण्डार- : शून्य

भाग-II (ब)

प्रस्तर-01: प्रकीर्ण अग्रिम मद में धनराशि ` 14.54 लाख की वसूली लम्बित रहना।

अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड-2 (ए0डी0बी0), लो0नि0वि0, देहरादून के अभिलेखों की नमूना जांच (02/2021) में पाया गया कि माह 01/2021 के मासिक लेखे के FORM-70 SCHEDULE OF MISCELLANEOUS P.W. ADVANCES तथा प्रकीर्ण अग्रिम पंजिका के अनुसार विभिन्न मदों के सापेक्ष प्रकीर्ण अग्रिम की कुल धनराशि ` 1454321.00 की वसूली लम्बित थी, जिसका विवरण निम्न प्रकार था :-

ABSTRACT of Misc Advance (month 01/2021)

(')

Sl. No.	Particulars of Item	Opening Balance	Debit	Credit	Closing Balance
(A)	EMPLOYEES				
1.	Prahalad Singh Birjwal (E.E.)	1181.00	0.00	0.00	1181.00
(B)	OTHERS				
2.	Egis International J.V.	1453140.00	0.00	0.00	1453140.00
TOTAL		**1454321.00**	**0.00**	**0.00**	**1454321.00**

उक्त के संदर्भ में इंगित किये जाने पर इंकाई द्वारा तथ्यों की पुष्टि करते हुये अवगत कराया गया कि समायोजन की कार्यवाही की जा रही है, अग्रिम PMU द्वारा डाला गया है, समायोजन की कार्यवाही PMU स्तर से होनी है। खण्ड के उत्तर से स्वयं लेखापरीक्षा आपत्ति की पुष्टि होती है कि प्रकीर्ण अग्रिम मद में उक्त धनराशि लम्बित थी जिनका समायोजन/वसूली किया जाना लम्बित था।

अतः प्रकीर्ण अग्रिम मद में धनराशि ` 14.54 लाख की वसूली लम्बित रहने का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-II (ब)

प्रस्तर-2: बिना धनराशि उपलब्ध हुए कार्यो के निष्पादन मे रु 60.11 लाख की धनराशि कि देनदारी सृजित रहने का प्रकरण।

अधिशासी अभियंता, ए0 डी0 बी0, देहरादून की अभिलखो की लेखापरीखा मे पाया गया कि खंड द्वारा पैकेज -17 एवं पैकेज-18 के अंतर्गत क्रमश 02 अनुबंध (08/पी0डी0 /पी0एम0यू0 /ए0डी0बी0 /पी0डब्ल्यू0डी0 /2013 दिनांकित 11.12.2013 एवं 06/पी0डी0 /पी0एम0यू0 /ए0डी0बी0 /पी0डब्ल्यू0डी0 /2013 दिनांकित 08.12.2013ई) क्रमश ` 40.75 लाख एवं ` 44.47 लाख हेतु गठित की गयी जिसका अंतिमीकरण क्रमश 31.10.2017 एवं 31.07.2017 मे किया गया जबकि उनके Defect Liability Period की अवधि 15.11.2020 एवं 07.08.2020 थी।

खंड की अभिलेखो की लेखापरीक्षा मे पाया गया खंड द्वारा उक्त अनुबन्धो के सापेक्ष defect liability period के अंतर्गत कराये गए कार्यो के सापेक्ष क्रमश: ` 36.59 लाख एवं ` 23.52 लाख (कुल धनराशि ` 60.11 लाख) की देनदारी (अवधि 01.12.2019 से 15.11.2020 के मध्य) सृजित थी।

उक्त की ओर इंगित किए जाने पर खंड द्वारा तथ्य को स्वीकार्य करते हुये उत्तर मे बताया गया कि धन का आवंटन न होने के कारण भुगतान नहीं किया जा सका है।

अतः बिना धनराशि के उपलब्ध हुए ठेकेदार से कार्य कराये जाने के फलस्वरूप ` 60.11 लाख की धनराशि कि देनदारी सृजित रहने का प्रकरण उच्चाधिकारिओ के संज्ञान मे लाया जाता है।

भाग-III

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण

क्रम संख्या	**निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या**	**भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या**	**भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या**
	42/2010-11	2,3,4,5	-
	67/2015-16	1,2,3,4	-
	76/2016-17	1 (अ एवं ब),2	2
	32/2019-20	1,2	4

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
	वर्ष 2010-11से 2019-20 की अवधि में हुए समस्त लेखा परीक्षा के प्रस्तरों के उत्तर महालेखाकार कार्यालय को विभागीय उच्चाधिकारियों द्वारा प्रेषित किये जा चुके हैं।			

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

.....शून्य.....

भाग-V

आभार

1. कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु **अधिशासी अभियंता, निर्माण खंड-2, ए.डी.बी., देहरादून** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है। तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः **शून्य**

2. सतत् अनियमितताएः शून्य

3. विगत लेखा परीक्षा से वर्तमान तक निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया।

नाम	पदनाम	अवधि
श्री एच. के.पंत	अधिशासी अभियन्ता	विगत लेखा परीक्षा से 31.05.2020 तक
श्री पी.सी. पंत	अधिशासी अभियन्ता	01.06.2020 से 31.01.2021 तक
श्री जी.सी. बड्थ्वाल	अधिशासी अभियन्ता	01.02.2021 से लेखापरीक्षा तिथि तक।

4. विगत लेखा परीक्षा से वर्तमान तक निम्नलिखित खण्डीय लेखाधिकारी खण्ड से संबंद्ध रहे।

नाम	पदनाम	अवधि
श्री सिद्धार्थ मोहन डोभाल	खंडीय लेखाधिकारी	विगत लेखा परीक्षा से 08.08.2019 तक
श्री बी.डी.जोशी	खंडीय लेखाधिकारी	09.08.2019 से लेखापरीक्षा तिथि तक।

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति कार्यालय **अधिशासी अभियंता, निर्माण खंड-2, ए.डी.बी., देहरादून** को इस आशय से प्रेषित की गई है कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे उपमहालेखाकार, (AMG-II) कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), उत्तराखंड, महालेखाकार भवन, कौलागढ़, देहरादून-248195 को प्रेषित किया जाए।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी
AMG-II (Non-PSUs)